केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग

सहायक कार्यपालक अभियन्ता, सहायक अभियन्ता एवं सहायक निदेषक (उद्यान)

के लिए

विभागीय परीक्षा लेखा–III (बिना पुस्तकों के)

दिसम्बर 2017

समय:3 घण्टे	अधिकतम अंक:100

सभी 10 प्रश्नो के उत्तर दें। विकल्पों को आंतरिक रूप सें प्रश्नों में ही प्रदान किया गया हैं। प्रत्येक प्रश्न के अंक कोष्ठक में प्रश्नों के साथ दर्शाए गए हैं।

किसी अन्य प्रश्नो का उत्तर देने से पहले एक प्रश्न के सभी भागों का एक स्थान पर उत्तर दे। किसी भी प्रश्न के उन्ही भागो का मूल्यांकन किया जाएगा, जिनका सर्वप्रथम एक स्थान पर उत्तर दिया गया हो।

प्रश्नो के उत्तर किसी भी क्रम में दिए जा सकते हैं।

संकेताक्षर, जहाँ कही भी इस्तेमाल किये गए हों, उनके सामान्य अर्थ हैं।

प्रष्न:1 बहुविकल्पीय प्रश्नः– उम्मीदवार केवल प्रश्न और भाग संख्या एवं अपना उत्तर उत्तर–पुस्तिका में लिखें।

1) वित्तीय शक्तियों का प्रत्यायोजन नियम 1978 के अनुसार के.लो.नि.वि. में किस न्यूनतम स्तर के इंजीनियरिंग अधिकारी को विभाग के प्रमुख के रूप में नामित किया गया है?

2) लागू अनुदेश के अनुसार निविदा का कौन सा प्रारूप के.लो.नि.वि. प्रपत्र 7 पर आमंत्रित किया जाएगाः–आइटमदर, प्रतिशतदर, एकमुश्त या मूल्योपरि (Cost plus).

3) के.लो.नि.वि. में कार्यपालक अभियन्ता का वेतन मैट्रिक्स स्तर (6600/– रूपये के पूर्ववर्ती ग्रेड वेतन के समानांतर) क्या हैं? 7th CPC के 1 से 18 के स्तर को इंगित करें।

4) विभाग प्रमुख द्वारा निर्णयन अनुसार, उचित स्तर के तीन सदस्यों के विधिवत गठित स्थानीय खरीद समिति की सिफारिशों पर माल/सामग्री की खरीद (प्रत्येक अवसर पर) की वित्तीय ऊपरी सीमा क्या है?

5) यदि आप के.लो.नि.वि. में कार्यरत है एवं वेतन का आहरण कर रहे है, तो भारत सरकार के कौन से निधि में आपके वेतन का खर्च बुक किया जाएगा?

6) मौजूदा नियमों के अनुसार, खुली निविदा के माध्यम से प्राप्त, एकल बोली / निविदा के स्वीकृत्ती परक्रामण (Negotiation) के साथ या बिना अधिकतम राशि क्या है जो कि सहायक अभियन्ता, सहायक कार्यपालक अभियन्ता, सहायक निदेशक (उद्योग) द्वारा स्वीकार किया जा सकता हैं?

7) केंद्रीय लोक निर्माण विभाग (के.लो.नि.वि.) के निर्माण नियमावली 2014 के पैरा 2.7 के नवीनतम संशोधन के अनुसार पूर्वनिवेश गतिविधियों (DPR की तैयारी इत्यादि) के लिए कार्यपालक अभियन्ता द्वारा खर्च के अनुमोदन की वित्तीय सीमा क्या हैं?

8) के.लो.नि.वि. में मुख्य परियोजना प्रबंधक (सीपीएम) द्वारा स्वीकार किया जा सकने वाले न्यूनतम निविदा (एल–1) की अधिकतम राशि क्या है?

9) एकल निविदा पद्यत्ति (Single bid system) में आमंत्रित निविदायों में बयानाराशि (Earnest Money) के भाग के रूप में प्रस्तुत बैंक गारंटी, निविदा प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि से कितने दिनों तक के लिए मान्य होनी चाहिए?

10) कृपया वह मेजर हेड बताएँ जिसमें केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग के ग्राहक (Client) से प्राप्त जमा राशि (Deposit Amount) रखा जाता है। केवल चार संख्यात्मक अंक लिखे।

11) के.लो.नि.वि. प्रणाली के खातों में, कौन से प्रपत्र का अपयोग एक मुश्त अनुबंध के मामले में ठेकेदारों को मध्यवर्ती भुगतान करने के लिए किया जाता हैं?

12) आपने शहर के भीतर कार्यालय के फर्नीचर को ढोने के लिए पिक–अप ट्रक को किराए पर लिया है। के.लो.नि.वि. प्रणाली के खातों में, आप जिस राशि का भुगतान ट्रक मालिक को करेंगे, उसके लिए भुगतान की रसीद किस प्रपत्र में लेनी होगी?

13) अनुबंध की सामान्य शर्तो (GCC) का कौनसा खंड (Cluse) समय पूर्व समापन के लिए प्रोत्साहिन से संबंधित हैं?

14) सरकारी ई–बाज़ार (जीईएम) जीएफआर 2017 के किस नियम द्वारा नियंत्रित है ?

15) संक्षिप्त नाम पी.एफ.एम.एस. का पूर्णरूप दें।

16) के.लो.नि.वि. में अतिरिक्त महानिदेशक (सीमा) किस अधिकारी को रिपोर्ट करते हैं?

OC-49

17) जीसीसी 2014 के खंड 10 सी सी के तहत भुगतान के मामले में, पिछली तिमाही में किए गए काम {प्लस नेट सिक्योर्ड अग्रिम + नेट एडवांस पेमेंट} का एक निश्चित अंश भुगतान के लिए माना जाता हैं।

यह अंश कितना होता है?

[एन ="?"एम] कृपया "?" बताएँ।

18) दक्षिणी क्षेत्र में खंड 10 सी ए भुगतान के लिए सूचकांक किस अधिकारी के अनुमोदन से जारी किया जाता हैं ?

19) के.लो.नि.वि. के जीसीसी 2014 का कौन सा खंड यह सुनिश्चित करता हैं कि अनुबंध में उल्लिखित विनिदेशों के अनुसार कार्य किया जाए?

20) एक कार्य जिसमें के.लो.नि.वि. जीसीसी 2014 लागू होता हो के अनुबंध (अनुबंध का मूल्य 12.5 करोड़) में कार्य पूरा होने का मूल समय 10 महीने हैं और अंतिम लागत 15 करोड़ है, अनुबंध के खंड 5 के उद्देश्य के लिए कार्य कि अतिरिक्त लागत के कारण, अतिरिक्त उचित समय क्या हैं? कार्य में आने वाली बाधाओं को माना नहीं जाना चाहिए।

[अंक 20 x 1 = 20]

प्रश्नः–2 के.लो.नि.वि. में वित्तीय शक्तियों के प्रत्यायोजन के संदर्भ में, निम्नलिखित को स्वीकार करने के लिए सक्षम स्तर बताएँ (पाँच भागों का उत्तर दें):

1) मूल कार्य जिसकी तकनीकी मंजूरी राशि रू10.5 करोड़ और अनुबंध राशि रू9 करोड़ है, उसमें अतिरिक्त मद प्रत्याशित है जोकि 20 लाख रूपये का है, इस मदको स्वीकृत करने के लिए कौन सक्षम हैं? क्या मंजूरी से पहले किसी अन्य अधिकारी से पूर्व अनुमति आवश्यक है और किसके द्वारा?

2) रू45 लाख कि कीमत के सामान को अनुपयोज्य (Unserviceable) घोषित करने के लिए के.लो.नि.वि. कौन अधिकारी सक्षम हैं?

3) एक विशुद्ध रूप से अस्थायी संरचना, जिसने उस उद्देश्य को पूर्ण कर लिया है, जिस के लिए इसे बनाया गया था और जिसकी निर्माण की कीमत रू35 लाख रूपये थी, विद्यटित/ध्वस्त कर भूमि के बिना बेची जानी है। आरक्षित मूल्य तय करने के लिए कौन सक्षम हैं? यदि उच्च्तम बोली आरक्षित मूल्य से कम है तो उसे स्वीकृति देने के लिए कौन सक्षम है?

4) उचित प्रक्रिया के बाद एक मध्यस्थ (Arbitrator) ने ठेकेदार को रू4 करोड़ का अधिनिर्णय (Award) दिया हैं। के.लो.नि.वि. में किस स्तर का अधिकारी इस अधिनिर्णय को स्वीकार करने के लिए सक्षम है? क्या उसे किसी भी अन्य प्राधिकारी से परामर्श करने कि आवश्यकता है?

5) एनएबीएल (NABL) अथवा आईएसओ/आईईसी 17011 के अनुसार संचालित एव आईएसओ/आईईसी 17025 के अनुसार प्रयोगशालाओं का प्रत्यायन (accreditation) करने वाली अन्य समान सरकारी संस्था के द्वारा प्रत्यायित निजी प्रयोगशालाओं की मंजूरी।

6) रू50,000/– के सामान को चोरी और/या लापरवाही के कारण बट्टे खाते डालना (write off) ।

7) ऐसे कार्य में जहाँ टीएस राशि रू95 लाख है, अनुबंध मूल्य 105 लाख है, अनुबंध की अवधि 100 दिन है और वास्तविक देरी 20 दिन है– किस स्तर का अधिकारी समय का विस्तार देने और मील के पत्थर को बदलने के लिए सक्षम है यदि–

क) समर्थनीय देरी (justified delay) 30 दिन हैं।

ख) समर्थनीय देरी (justified delay) 15 दिन हैं।

[अंक 5x3=15]

प्रष्नः– 3 निम्नलिखित (किसी भी तीन) पर लघु नोट लिखिए?

i) के.लो.नि.वि. के GCC 2014 के खंड 10 सीए के तहत भुगतान।

ii) के.लो.नि.वि. ठेकेदार के श्रम विनियम– वेतन के भुगतान के संबंध में प्रावधान।

iii) के.लो.नि.वि. में परामर्श अनुबंध (Consultancy Contracts) ।

iv) के.लो.नि.वि. के जीसीसी 2014 में सुरक्षित एडवांस (Secured advance) के बारे में प्रावधान।

v) के.लो.नि.वि. के जीसीसी 2014 में जुटाव अग्रिम (Mobilization Advance) के बारे में प्रावधान।

[अंक 3x5=15]

प्रष्नः– 4 निम्नलिखित में अंतर स्पष्ट करें (कोई भी चार)?

i) केन्द्रीय विनियोजन एवं पुलर्विनियोजन।

ii) अत्यावश्यक (urgent) कार्य एवं आकस्मिक (emergent) कार्य।

iii) स्थायी इम्प्रेस्ट एवं अस्थाई अग्रिम (Temporary Advance) ।

iv) जुटाव अग्रिम एवं संयंत्र, मशीनरी तथा शटरिंग सामग्री अग्रिम।

v) विशेष मरम्मत कार्य एवं उन्नयन (up-gradation) कार्य।

[अंक 4x5=20]

प्रश्नः– 5 निम्नलिखित पर विस्तार से चर्चा करें (कोई भी दो)?

i) के.लो.नि.वि. में कार्यरत अभियंता एवं समतुल्य स्तर पर स्थानांतरण (पोस्टिंग) नीति

ii) के.लो.नि.वि. अनुबंधों में दोष दायित्व (defect liability) के प्रावधान और उनकी पर्याप्तता एवं प्रवर्तन पर टिप्पणी।

iii) के.लो.नि.वि. के जीसीसी अनुबंध की सामान्य शर्तों के खंड 14 के तहत कार्यवाही

[अंक 2x10=20]

प्रश्नः– 6 हाल ही में शुरू किए गए गुड्स एण्ड सर्विसेज टैक्स (जीएसटी) के कारण पारदर्शिता, कर–अनुपालन और विश्वसनीयता के दृष्टिकोण से व्यापार के संचालन में व्यापक और गहरे बदलाव आने की उम्मीद है। के.लो.नि.वि. अनुबंध पर जीएसटी के संभावित प्रभाव पर टिप्पणी करें। अब तक के.लो.नि.वि. महानिदेशालय द्वारा उठाए गए कदमों का उल्लेख करते हुए, के.लो.नि.वि. के अधिकारियों और ठेकेदारों के लिए प्रमुख सरोकारी मुद्दों पर टिप्पणी करें।

अथवा

के.लो.नि.वि. वर्क्स मैनुअल 2014 में 10(दस) बदलावों का सुझाव दें, जो आप की राय में, विभाग के कार्य को अधिक कुशल और प्रभावी बनाने में सहायक होगा।

[अंक 1x10=10]